ई-मेल/महत्वपूर्ण/शीघ्र

संख्याः 4331(1)/6-1001(099)/4986/2020

प्रेषक,

मोहित गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

गृह (पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2025

विषयः-उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 में चतुर्थ संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अधिसूचना संख्याः 934749/6-1001(099)/4986/2020 दिनांक 31.12.2025 (हिन्दी/अंग्रेजी) द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराते हुये अपने स्तर से सभी सम्बन्धितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(मोहित गुप्ता)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।

2- सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।

3- कार्मिक अनुभाग-1/2, भाषा अनुभाग-5, विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

4- गृह विभाग के समस्त अनुभाग।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निरंजन प्रसाद)
उप सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 934749/6-1001(099)/4986/2020 dated December 31, 2025.

No. 934749/6-1001(099)/4986/2020
Dated: Lucknow, December 31, 2025

IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 46 read with sub-section (3) of the said section and section 2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view of amending the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service Rules, 2015.

THE UTTAR PRADESH POLICE CONSTABLE AND HEAD CONSTABLE SERVICE (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2025

<table>
<tr><td>Short title and commence-ment</td><td>1</td><td colspan="2">(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service (Fourth Amendment) Rules, 2025
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Amendment of rule-15</td><td rowspan="3">2</td><td colspan="2">In the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service Rules, 2015, for rule-15(2) set, out in Column I below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td>Column-I
Existing rule</td><td>Column-II
Rules as hereby substituted</td></tr>
<tr><td>Rule 15(2) Written Examination
Candidates, whose applications are found correct, shall be required to appear in written examination. In the written examination, the Board will keep one objective type question paper. The written examination will be of 300 marks and it shall have questions from General Knowledge, General Hindi, Numerical and Mental Ability, Mental Aptitude/ I.Q. and Reasoning Ability.
Candidates will be awarded negative marks for wrong answers in the written examination. The detailed syllabus for the examination will be decided by the</td><td>Rule 15(2) Written Examination
Candidates, whose applications are found correct, shall be required to appear in written examination. In the written examination, the Board will keep one objective type question paper. The written examination will be of 300 marks and it shall have questions from General Knowledge, General Hindi, Numerical and Mental Ability, Mental Aptitude/ I.Q. and Reasoning Ability. In written examination, the following minimum qualifying marks are prescribed for the candidates of each category / class wise i.e. General / OBC / SC / ST / EWS:-
(1) 30 percent for General candidates.
(2) 25 percent for Economically Weaker Section (EWS) candidates.
(3) 25 percent for Other Backward</td></tr>
</table>

		Board and will be displayed on its own website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or on more than one date in different shifts with different question papers or through computer based written examination system. **Note:-** (1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website. (2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shifts, with different question papers, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtained by candidates appearing in such examinations at its level and will publish it in its advertisement.	Classes (OBC) candidates. (4) 20 percent for Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) candidates. Candidates who fail to obtain the minimum qualifying marks in the written examination as mentioned above will not be eligible for recruitment. The detailed syllabus for the examination will be decided by the Board and will be displayed on its own website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or on more than one date in different shifts with different question papers or through computer based written examination system. **Note:-** (1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website. (2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shifts, with different question papers, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtained by candidates appearing in such examinations at its level and will publish it in its advertisement. Provide that under above circumstances wherever the word "marks" appears in the rule, it shall mean 'normalized marks'

(SANJAY PRASAD)
Principal Secretary,
Home Department

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

संख्याः 934749/6-1001(099)/4986/2020

लखनऊः 31 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।	
नियम-15 का संशोधन	2	उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 15(2) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	**स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
		नियम 15(2) लिखित परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जाय से, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरूचि बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न	**नियम 15(2) लिखित परीक्षा** ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जाय से, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी/वर्गवार अर्थात अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए

		होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठयक्रम का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड, लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा: **टिप्पणी:-** 1-. लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 2- यदि बोर्ड लिखित परीक्षा, एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित करने के लिये विनिश्चय करता है तो बोर्ड, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के द्वारा प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपने विज्ञापन में प्रकाशित करेगा।	निम्नलिखित न्यूनतम अर्हकारी अंक विहित किये गये हैं:- (1) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत। (2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत। (3) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत। (4) अनुसूचित जाति (एस0सी0)/ अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत। उपर्युक्तानुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड, लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांक को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा: **टिप्पणी:-** 1- लिखित परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

			2- यदि बोर्ड, लिखित परीक्षा, एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांक को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित करने के लिये विनिश्चय करता है तो बोर्ड, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के द्वारा प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपने विज्ञापन में प्रकाशित करेगा। परन्तु यह कि उपर्युक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द "अंक" आया हो, उसका तात्पर्य "प्रसामान्यीकृत अंक" होगा।

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग।